फर्द अहकाम

न्यायालय SDO शाहपुरा

हनुमान बनाम महावीर

मुकदमा संख्या / वर्ष 19 / 2023

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/7/23	पक्षीय कमल पक्ष उप० / वास्तव हेतु नि.शाप० हेतु पत्रावली दि० 23/07/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर	
	23/7/24	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ...नियमित... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 15/4/24 को पेश हो। (रीडर)	
	15/4/24	वकील उभय पक्ष उप० / वास्ते वहस T। प्राप्त हेतु पत्रावली दिनांक 26/4/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)	
	26/4/24	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य ...नियमित... है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 3/5/24 को पेश हो। (रीडर)	
	3/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद बटवारा का है। मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा को कायम किया जाना उचित समझते हैं। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24/3/2023 के द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक अनावेदक की अस्थायी निषेधाज्ञा से स्थायी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के सम्मिलित रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)	